राजस्व अपील संख्या – 13/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/14

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 13/2025

जीसीएमएस सं. 2025/14

अपीलांटः–

बाबू देवी पुत्री श्री शेराराम पत्नी श्री तेजाराम उम्र 47 वर्ष जाति विश्नोई निवासी 488 चोटियों की ढाणियां, धवा मार्ग, फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंटः–

1. तहसीलदार, जोधपुर।
2. तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर।
3. गोकलराम पुत्र शेराराम
4. गंगाराम पुत्र शेराराम
5. जावंताराम पुत्र शेराराम

   सभी जातियान विश्नोई निवासीगण शेराराम गोदारों की ढाणियां, भाण्डू रोड, फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
6. बाबुलाल पुत्र अणदाराम जाति देवासी, निवासी ग्राम फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध खसरा सं. 339, 284, 657, 658, 671, 706, 707, 878/707 तथा 632 ग्राम फींच, तहसील जोधपुर (हाल लूणी) के नामांतरकरण सं. 325 जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 23.12.1978 को पारित किया गया, को निरस्त करवाने हेतु।

उपस्थितिः–

01. अधिवक्ता श्री दिनेश लोल, श्री महेन्द्र कुमार (अपीलांट की ओर से)
02. अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई (प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 तक की ओर से)
03. अधिवक्ता श्री आर. एन. बेनीवाल (प्रत्यर्थी सं. 6 की ओर से)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 13/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/14

निर्णय **दिनांक 11.12.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम फींच, तहसील जोधपुर हाल तहसील लूणी के नामांतरकरण सं 325 पर तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.1978 को अपास्त करने हेतु दिनांक 01.03.2024 को अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) के न्यायालय में पेश की गई है तथा वहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 13.01.2025 को दर्ज की गई है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रत्यर्थी गण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 तक की ओर से श्री बाबुलाल विश्नोई अधिवक्ता ने तथा प्रत्यर्थी सं. 6 की ओर से श्री आर. एन. बेनीवाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 पर नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए है।
3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम फींच का ख.नं. 339 रकबा 32–01 बीघा, ख.नं. 284 रकबा 31–06 बीघा, ख.नं. 657 रकबा 14–19 बीघा, ख.नं. 658 रकबा 8–18 बीघा, ख.नं. 671 रकबा 13–03 बीघा, ख.नं. 706 रकबा 18–13 बीघा, ख.नं. 707 रकबा 16–04 बीघा, ख.नं. 878/707 रकबा 16 बीघा तथा ख.नं. 632 रकबा 31–04 बीघा कुल दीगर 9 कुल रकबा 182–08 बीघा भूमि में शेराराम का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में था। शेराराम की वंशावली अपील मीमों के पैरा सं. 3 में दर्ज है, जिसमें वारिस झम्मुदेवी (पत्नी), गोकलराम, गंगाराम, जावंताराम, किसनाराम (पुत्रान) तथा जीयादेवी, केसी देवी व बाबुदेवी पुत्रियां है। इसमें से झम्मुदेवी व किशनाराम फौत हो चुके है। किशनाराम अविवाहित फौत हुआ है।

   शेराराम के फौत होने पर उक्त विवरण की 182–08 बीघा भूमि बाबत ग्राम फींच का नामांतरकरण सं. 325 दिनांक 23.12.1978 का तहसीलदार, जोधपुर द्वारा सिर्फ शेराराम के बेटे प्रत्यर्थीगण गोकलराम, गंगाराम, जावंतराम व किसनाराम के नाम दर्ज किया तथा पुत्रियां जीयादेवी, केसीदेवी व अपीलांट बाबुदेवी का नाम दर्ज ही नहीं किया है, जबकि पुत्रियां भी शेराराम की कानूनी वारिसान की श्रेणी में आती है। वर्तमान में नए राजस्व गांवों के सृजन के कारण ख.नं. 339 की भूमि ग्राम हमीरनगर में, ख.नं. 632, 657, 658, 706, 707/2, 707/3, 671, 671/6 ग्राम फींच में तथा ख.नं. 564/1 ग्राम हनुमाननगर में आई हुई है तथा नामांतरकरण सं.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

325 की जानकारी अपीलांट को दिनांक 03.02.2024 को नकल लेने पर प्रथम बार हुई।

अपीलांट का यह भी कथन है कि नामांतरकरण सं. 325 में अपना नाम दर्ज करने के बाद प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 ने उक्त खसरों की भूमि का आपस में बंटवारा भी करवा लिया है तथा ख.नं. 671 व 671/6 ग्राम फींच की भूमि प्रत्यर्थी सं. 6 को बेचान भी कर दी गई है। उक्त विवरण की पुश्तैनी भूमि में अपीलांट का 1/6 हिस्सा कानूनी रूप से बनता है। अतः नामांतरकरण सं. 325 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक गण की अपील पर बहस सुनी गई।

5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश लोल ने अपील में अंकित अभिकथनों की पुनरावृति करते हुए तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/6 हिस्सा कानून अनुसार बनता है। प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 तक, अपीलांट के सगे भाई है तथा उन्होने शेराराम की गलत वंशावली पेश करके सिर्फ अपने नाम दर्ज कर लिए तथा कुछ जमीन प्रत्यर्थी सं. 6 बाबुलाल देवासी को बेचान भी कर दी है। वे सिर्फ अपना हिस्सा का ही बेचान कर सकते है, परंतु अपीलांट का हिस्सा बेचने का उन्हे कोई अधिकार ही नहीं है। कुल 182–08 बीघा में अपीलांट का 1/6 हिस्सा बनता है। अपीलांट को नामांतरकरण सं. 325 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.02.2024 को नामांतरकरण की नकल लेने पर हुई, जब वह पटवारी के पास केसीसी लोन लेने गई। अपीलार्थी अनपढ महिला है। अंगूठा लगाती है। जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की है। अतः देरी को माफ कर अपील स्वीकार की जावे।

6. प्रत्यर्थी सं. 6 की ओर से श्री आर.एन. बेनीवाल अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि वह एक सद्भावी क्रेता है तथा उसने सिर्फ 2 बीघा भूमि रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज से क्रय की है तथा मौके पर मेरा कब्जा है। अतः क्रेता का हक व हित सुरक्षित रखा जावे।

7. प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 की ओर से श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि यह अपील 47 वर्ष की देरी से पेश की गई है। देरी को कंडोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद कानून में देरी का कोई कारण ही नहीं बताया है। सिर्फ दिनांक 03.02.2024 को नकल लेने पर जानकारी होना लिखा है, जो युक्तियुक्त कारण नहीं है। अपीलार्थी स्वयं की उम्र शपथपत्र अनुसार 47 वर्ष है अर्थात् अपीलांट का जन्म पिता की मृत्यु के बाद हुआ है। अतः अपील

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

धारा 5 से बाधित है। समय–समय पर हर साल गिरदावरी दर्ज की जाती है। बिगोडी वसूल की जाती है। अपीलांट के नाम गिरदावरी नहीं होने से तथा बिगोडी वसूल नहीं होने से, अपीलांट को ज्ञान होना चाहिए। 47 वर्ष की देरी को क्षम्य करने हेतु सुदृढ सबूत चाहिए।

अपील में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष मांगा है, जो सिर्फ नियमित वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। अपील मीमों के पैरा सं. 3 में खानदान सजरा में केसी देवी एवं जिया देवी को बहने बताया है, परंतु अपील में उन्हे पक्षकार नहीं बनाया है, जिसके अभाव में अपील चलने योग्य नहीं है।

हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक किशनाराम का हिस्सा भाईयों को जायेगा, बहिनों को कोई हिस्सा किशनाराम की संपति में नहीं दिया जा सकता। यह एक विवादित तथ्यों का प्रश्न है, जिसका निर्धारण सिर्फ नियमित वाद में हीं हो सकता है। दूसरा विवादित प्रश्न, हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान का है। इस बाबत उन्होने 2006-07 (Supp) RRT 153 अनार देवी बनाम परमेश्वरी देवी व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का दृष्टांत पेश किया।

अतः यह अपील संधारण योग्य नहीं है तथा खारिज योग्य होने से खारिज की जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामांतरकरण सं. 325 दिनांक 23.12.1978 ग्राम फींच का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

9. (a) अपीलांट ने अपील के साथ परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 325 दिनांक 23.12.1978 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 03.02.2024 को हुई। इससे पहले उसे जानकारी नहीं थी। अतः जायज देरी को माफ कर अपील अंदर म्याद सुमार की जाकर मेरिट पर निर्णित किया जावे।

(b) अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थी सं. 6 ने जवाब पेश कर कथन किया है कि अपीलार्थी को आक्षेपित नामांतरकरण की जानकारी शुरू से ही थी। केडिट कार्ड बनाने कौनसी तारीख को गई, इसका कोई जिक्र प्रार्थना पत्र में नहीं है सिर्फ

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

झूठी कहानी बनाकर अपील पेश की गई है। अपील म्याद बाहर पेश होने से खारिज योग्य है। मेरिट पर नहीं सुनी जावे।

(c)प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 तक ने लिखित में जवाब पेश कर कथन किया है कि अपीलांट ने नामांतरकरण को निरस्त करने का कोई अनुतोष नहीं मांगा है, बल्कि घोषणात्मक डिक्री का अनुतोष मांगा है। बिना मांगे, न्यायालय किसी को अनुतोष नहीं दे सकता। घोषणा व वारिस मानने का अनुतोष भू राजस्व अधिनियम में नहीं दिया जा सकता। अपील में 1/6 हिस्से का अनुतोष मांगा है, जो नामांतरकरण की कार्यवाही में नहीं दिया जा सकता। अपीलांट ने देरी का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। केवल मात्र जानकारी होने की तारीख लिखकर 46 वर्षो की देरी को कंडोन नहीं किया जा सकता। विधि अनुसार विलंब का प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। अतः अपील खारिज की जावे।

(d) अपीलांट ने आक्षेपित नामांतरकरण सं. 325 दिनांक 23.12.1978 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.02.2024 को पटवारी से उसकी नकल लेने पर होना सशपथ कथन किया है। प्रत्यर्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है, जिससे साबित होता हो कि अपीलार्थी को दिनांक 03.02.2024 से पूर्व आक्षेपित नामांतरकरण की जानकारी थी। अपीलार्थी ने पुश्तैनी आराजी संपति में जरिये उत्तराधिकार हक प्राप्त करने हेतु यह अपील पेश की है, जिसमें उसको जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए अपील को सिर्फ म्याद के बिंदु पर ही खारिज करना न्यायोचित नहीं है तथा प्रकरण का नामांतरकरण की सीमित व संक्षिप्त कार्यवाही की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर न्याय निर्णित करना यह न्यायालय न्यायोचित समझता है। अतः अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से, यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा देरी को क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद प्रस्तुत किया जाना सुमार की जाती है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

10. (a)पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन मूल नामांतरकरण सं. 325 के अनुसार ग्राम फींच का ख.नं. 339, 284, 657, 658, 671, 706, 707, 878/707 एवं 632 कुल खसरा 9 कुल रकबा 182–08 बीघा भूमि पुनाराम, शेराराम पिता भारताराम विश्नोई

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज था। सहखातेदार शेराराम के फौत होने पर आक्षेपित नामांतरकरण, शेराराम के पुत्र गोकल, गंगाराम, जावंताराम, किशनाराम के नाम दिनांक 23.12.1978 को तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है।

(b)अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी व अपना खाता पोर्टल के अनुसार कुल 9 खसरों की भूमि के वर्तमान इंद्राज इस प्रकार है:–

i) ग्राम हमीरनगर ख.नं. 339/1 रकबा 2.59 हैक्टर शोभाराम, पोलाराम पुत्र पुनाराम तथा ख.नं. 339 रकबा 2.5981 हैक्टर गंगाराम गोकुलराम व जांवताराम खातेदार।

ii) ग्राम फींच ख.नं. 632, 657(1.2141 हैक्टर), 658 (0.7122 हैक्टर), 706, 707/2, 707/3 कुल रकबा 11.0884 हैक्टर, गंगाराम, गोकलराम, जावंताराम खातेदार

iii) ग्राम फींच ख.नं. 671 रकबा 0.1376 हैक्टर, ख.नं. 671/6 रकबा 0.3237 हैक्टर, कुल 0.4613 हैक्टर, बाबूलाल पुत्र अणदाराम खातेदार, प्रत्यर्थी सं. 6 के नाम दर्ज है।

iv)ग्राम हनुमान नगर, ख.नं. 564/1 रकबा 3.8688 हैक्टर गंगाराम, गोकलराम व जावंताराम के नाम दर्ज है।

v) ग्राम फींच ख.नं. 658/2 रकबा 0.7284 हैक्टर, ख.नं. 284 रकबा 5.0424 हैक्टर, ख.नं. 657/2 रकबा 1.2060 हैक्टर, 706/2, 707/4 शोभाराम, पोलाराम पुत्र पूनाराम के नाम दर्ज है।

vi)ग्राम फींच, ख.नं. 658/1 रकबा 1.4407 हैक्टर, 706/3, 707, 707/5, ख.नं. 657/1 रकबा 2.4200 हैक्टर बाबूराम पुत्र भैराराम, गुड्डी देवी, शारदा विश्नोई, सुशीला, भभूतराम, मैना देवी व रामू देवी के नाम खातेदारी में दर्ज है।

vii) ग्राम फींच ख.नं. 706/1 रकबा 0.6961 हैक्टर, 707/1, ख.नं. 671/1 रकबा 0.5666 हैक्टर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सडक दर्ज है।

ख.नं. 671/9 (0.4047 हैक्टर) व 671/10 रकबा 0.4047 हैक्टर कोयली पत्नी प्रेमाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है।

ख.नं. 671/5 रकबा 0.3723 हैक्टर व ख.नं. 671/2 रकबा 0.3399 हैक्टर मिश्रीलाल देवासी पुत्र पुनाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ख.नं. 671/3 रकबा 1.0117 हैक्टर दोलकी, स्वरूपराम व पपुडी के नाम दर्ज है।

ख.नं. 671/7 (0.2428 हैक्टर) व ख.नं. 671/4 रकबा 0.3076 हैक्टर सोनाराम, हरदेव व हरदेव देवासी के नाम दर्ज है।

ख.नं. 671/8 रकबा 0.7122 हैक्टर सुरता पत्नी गोकलराम के नाम दर्ज है।

viii) उक्त उप पैरा सं. i) से vii) तक में दिये गये वर्तमान अभिलेखीय इंद्राजों अनुसार, आक्षेपित नामांतरकरण सं. 325 दिनांक 23.12.1978 के पश्चात् पिछले 47 वर्षों की अवधि में आक्षेपित भूमि का सहखातेदारों के मध्य बंटवारा/हस्तांतरण होने से कई नए खातेदारों के नाम आक्षेपित भूमि दर्ज हो गई है। आक्षेपित नामांतरकरण को अपास्त करने से पश्चातवर्ती समस्त इंद्राजों पर विपरीत असर निश्चित रूप से होगा। उपरोक्त विवरण के वर्तमान इंद्राजों के खातेदार शोभाराम, पोलाराम पुत्र पूनाराम, बाबूराम, गुड्डीदेवी, शारदा विश्नोई, सुशीला, भभूतराम, मैना देवी, रामू देवी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोयली पत्नी प्रेमाराम, मिश्रीमल देवासी, दोलकी, स्वरूपाराम, पपुडी, सोनाराम, हरदेव, हरदेव देवासी, सुरता पत्नी गोकलराम को इस अपील में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, जबकि उक्त सभी उक्त विवरणानुसार रिकॉर्डेड खातेदार जमाबंदी में दर्ज है तथा आवश्यक पक्षकार है तथा आक्षेपित नामांतरकरण को एकतरफा अपास्त करने से उक्त व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों पर विपरीत असर पडेगा।

ix) अपीलांट ने इस अपील के जरिये आक्षेपित आराजी में 1/6 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित करने की इस्तदुआ मांगी है, जो नामांतरकरण की संक्षिप्त व समरी कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा अपीलांट को नहीं दी जा सकती है। अपीलांट द्वारा मांगा गया घोषणात्मक प्रकृति का अनुतोष सिर्फ सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा नियमित वाद के माध्यम से ही दिया जा सकता है। नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र समरी प्रकृति की फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिसके जरिये किसी व्यक्ति के हक, अधिकारी, स्वत्वों का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में नामांतरकरण की सीमा व प्रकृति का तय कर दिया है, जिसमें निम्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करना उचित है:–

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(A) Faqruddin V/s Tejuddin (2008)8 SCC 12

(B) Prem Nath Khanna V/s Narinder Nath Kapoor (dead) LRs (2016) 12 SCC-235

(C) Bhima Bal Mahadev Kambaker (dead) th. LRs V/S Arthur Import- Export Co. & ors. (2019)3 SCC-191

(D) Hetram v/s Financial commissioner(Appeals) & Ors. H.P-High Court, CWP No. 5751/ 2010 (D/d-13.10.2023)

(E) Swarni v/s Inder Kaur -(1996)3 SCC 223

(F) Balwant singh v/s Daulat singh (1997)7 SCC 137

(G) Narasamma v/s state of Karnataka (2009)5-SCC-591

(H)Suraj Bhan & ors V/s. Financial Commissiones (2007)6 SCC-186

(I) Swarni v/s Inder Kaur -(1996)3 SCC 223

(J)Karam Singh VS Amarjeet Singh, Supreme Court, 2025 INSC 1238 Date 15-10-2025

11. अपीलांट स्वयं ने अपील मीमों में कथन किया है कि प्रभावित आराजी का विभाजन हो चुका है तथा विभाजन के पश्चात् हस्तांतरण भी हुआ है, परंतु उसने सिर्फ़ प्रत्यर्थी सं. 6 को आवश्यक पक्षकार बनाया है। वर्तमान रिकॉर्ड की कुछ जमाबंदियां पेश की है तथा अन्य जमाबंदिया पेश नहीं की है। इस प्रकार, वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज आसामियों की जानकारी अपीलांट को भलीभांति है, फिर भी उन्हे पक्षकार नहीं बनाया है।

अपीलाधीन नामांतरकरण को अपास्त करने से, पश्चातवर्ती समस्त नामांतरकरण, विभाजन आदेश, रजिस्टर्ड बेचान पत्र इत्यादि प्रभावित होंगे तथा कई पक्षकारों के सांपतिक अधिकार प्रभावित होंगे। अतः उन्हे सुनवाई का अवसर देना जरूरी है।

12. प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 तक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय RRT 2006-07 (Suppl) 153 Anar Devi VS Parmeshwari Devi में हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 बाबत दिया गया विनिश्चय एवं उक्त के पश्चात् नवीनतम न्यायिक निर्णय विनीत शर्मा बनाम राकेश शर्मा, AIR 2020 SC 3717 Derha V Vishal (2023)10 SCC 524 इत्यादि के संदर्भ में अपीलांट के हक हिस्सा का निर्धारण सिर्फ नियमित वाद के माध्यम से ही किया जा सकता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट के पिता की मृत्यु सन् 1978 को हो चुकी थी। उसके पश्चात् सहदायिकों के मध्य विभाजन कब हुआ है, इसका कोई उल्लेख अपील मीमों में नहीं है। धारा 6 में संशोधन दिनांक 09.09.2005 से प्रभावी हुआ है तथा धारा 6(1) के परंतुक में यह भी प्रावधान किया गया है कि सहदायिकी में 20.12.2004 के पूर्व किये गये हस्तांतरणों, विभाजन, वसीयती निष्पादन इत्यादि पर इस संशोधन का कोई प्रभाव नहीं होगा। उक्त जारी प्रश्नों/शंकाओं का निर्धारण, केवल नियमित वाद के माध्यम से ही किया जा सकता है। नामांतरकरण की संक्षिप्त व समरी कार्यवाही में उक्त प्रकार के विवादित तथ्यों पर न्याय निर्णयन करना संभव नहीं है।

13. उपर्युक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति के विवचन एवं विश्लेषणानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है तथा खारिज योग्य है।

आदेश

14. परिणामतः अपीलांट द्वारा ग्राम फींच के नामांतरकरण सं. 325 पर पारित आदेश दिनांक 23.12.1978 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।
15. निर्णयं की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, लूणी को पुनः लौटाया जावे।
16. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जोधपुर
(प्रथम), जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जोधपुर
(प्रथम), जोधपुर